



Neutral Citation No. - 2026:AHC:29852

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - 1985/2026

कमलेश्वर राम

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: आर्य गौतम, अतिप्रिया गौतम, शुभम

त्रिपाठी

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 33

माननीय न्यायमूर्ति विकास बुधवार

1. सुश्री वैष्णवी श्रीवास्तव (एओआर ए/वी 0236/2026), जो सुश्री अतिप्रिया गौतम की ओर से पेश हुई, रिट याचिकाकर्ता की विद्वान अधिवक्ता और राज्य की विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना गया।
2. याचिकाकर्ता की शिकायत यह है कि वह सब इंस्पेक्टर के पद पर तैनात है और समय-समय पर जारी सरकारी आदेशों और नीतियों के अनुसार अनुकंपा के आधार पर अपने अनुरोध पर महाराजगंज जिले से प्रयागराज या मिर्जापुर रेंज विंध्याचल में तबादला चाहता है।
3. विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने निवेदन किया कि याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय द्वितीय प्रतिवादी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, खुफिया, खुफिया मुख्यालय, उत्तर प्रदेश द्वारा किया जाएगा।
4. उपरोक्त निवेदन पर विचार करते हुए, रिट याचिका का निपटारा करते हुए याचिकाकर्ता को निर्देश दिया जाता है कि वह द्वितीय प्रतिवादी, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, खुफिया, खुफिया मुख्यालय, उत्तर प्रदेश के समक्ष **20.02.2026** तक याचिका की स्व-सत्यापित प्रति और आदेश की प्रमाणित प्रति के साथ एक विस्तृत अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। इसके बाद, द्वितीय प्रतिवादी दो माह की अवधि के भीतर याचिकाकर्ता के दावे का निर्णय करेगा।

(न्यायमूर्ति विकास बुधवार)

11 फरवरी 2026

राजेश

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"